

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 28-12-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹5,50,67,800/- (पाँच करोड़ पच्चास लाख सड़सठ हजार आठ सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-12.6.18 एवं 43(7)ब दिनांक-03.10.18, 54(7)ब दिनांक-12.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹5,50,67,800/- (पाँच करोड़ पच्चास लाख सड़सठ हजार आठ सौ रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहाँ पदस्थापित हैं।



2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,


(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 71 (7) 5

पटना, दिनांक : 28-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



द्वितीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित यस्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन
विवरणी-I

क्रम	(जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वर्दी/पोषाक (13-06)	आहार/पथ्य (21-03)	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(11-01)	(13-01)	(13-06)	(21-03)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अपर निदेशक(यस्मा) का कार्यालय, बिहार, पटना	400000	56000	60000	300000	8000	20000	844000	11000	0	10000	0	865000	663/1.12.18
2	अपर निदेशक, यस्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	700000	980000	1050000	500000	140000	350000	10020000	0	0	0	200000	10220000	828/26.10.18
3	अपर मुख्य चि0पदा0, पटना	500000	70000	75000	200000	15000	25000	885000	0	0	0	0	885000	131/11.12.18
4	अपर मुख्य चि0पदा0, मोजपुर	200000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	2740000	340/15.12.18
5	अपर मुख्य चि0पदा0, कटिहार	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	5000	0	0	2060000	154/4.12.18
6	अपर मुख्य चि0पदा0, पूर्णिया	250000	35000	37500	0	7500	12500	342500	0	0	0	0	342500	390/27.10.18
7	अपर मुख्य चि0पदा0, मधुबनी	1600000	224000	240000	0	48000	80000	2192000	0	10000	10000	0	2212000	37/25.10.18
8	अपर मुख्य चि0पदा0, छपरा	4000000	560000	620000	0	120000	200000	5500000	0	0	0	0	5500000	424/10.10.18
9	अपर मुख्य चि0पदा0, समस्तीपुर	660000	92400	99000	0	19800	33000	904200	0	0	0	0	904200	2245/26.10.18
10	अपर मुख्य चि0पदा0, सहरसा	2000000	280000	300000	0	60000	80000	2720000	0	0	0	0	2720000	197/1.11.18
11	अपर मुख्य चि0पदा0, बेतिया	4000000	560000	600000	0	120000	200000	5480000	0	0	0	0	5480000	299/23.10.18
12	अपर मुख्य चि0पदा0, गया	1500000	210000	225000	0	45000	75000	2055000	0	0	0	0	2055000	47/11.10.18
13	अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर	230000	32200	34500	0	6900	11500	315100	0	0	0	0	315100	425/26.10.18
14	अपर मुख्य चि0पदा0, मोतिहारी	2000000	280000	300000	0	60000	100000	2740000	0	0	0	0	2740000	286/9.10.18
15	अपर मुख्य चि0पदा0, वैशाली	2500000	350000	375000	0	75000	125000	3425000	0	0	0	0	3425000	473/11.12.18
16	अपर मुख्य चि0पदा0, नवादा	1200000	168000	180000	0	36000	60000	1644000	0	0	0	0	1644000	426/23.10.18
17	अपर मुख्य चि0पदा0, नालन्दा	5000000	700000	750000	0	150000	250000	6850000	0	0	0	0	6850000	522/30.11.18
18	अपर मुख्य चि0पदा0, भागलपुर	3000000	420000	450000	0	90000	150000	4110000	0	0	0	0	4110000	660/25.10.18
	कुल	39340000	5507600	5921000	1000000	1106200	1947000	54821800	11000	15000	20000	200000	55067800	

(पाँच करोड़ पच्चास लाख सड़सठ हजार आठ सौ) रु. मात्र

71(7)ब

28-12-18

Q&A

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	485346000	383500000	393400000	422840000	62506000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	72442000	53690000	5507600	59197600	13244400
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	77271000	57525000	5921000	63446000	13825000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	5119000	3300000	1000000	4300000	819000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	12924000	10703000	1106200	11809200	1114800
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	24147000	19175000	1947000	21122000	3025000
	योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन	677249000	527893000	54821800	582714800	94534200
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	797539	11000	808539	191461
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	119000	0	119000	131000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	243000	15000	258000	142000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	131000	0	131000	69000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	175000	0	175000	125000
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	127500	20000	147500	52500
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	200000	0	200000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	400000	173000	0	173000	227000
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	0	0	0	600000
18	आहार / पथ्य (0001-21-03)	600000	400000	200000	600000	0
19	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
20	सचिदा सेवाएं (0001-28-02)	500000	450000	0	450000	50000
19	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	600000	0	0	0	600000
	कुल योग:-	690800000	535861539	55067800	590929339	99870661

71(9) ब

28-12-18

सरकार के विशेष सचिव

9

9/11/18